प्रेस प्रकाशनी

संसद का बजट सत्र, 2020, जो शुक्रवार, 31 जनवरी, 2020 से आरंभ हुआ था, आज अर्थात सोमवार, 23 मार्च, 2020 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस दौरान, दोनों सदन सोमवार, 2 मार्च, 2020 को पुन: समवेत होने के लिए मंगलवार, 11 फरवरी, 2020 को स्थगित हुए थे ताकि विभागीय स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदान मांगों की जांच कर सकें।

2. बजट सत्र के पहले भाग के दौरान लोक सभा और राज्य सभा की कुल 9 बैठकें हुई थी। सत्र के दूसरे भाग में लोक सभा और राज्य सभा की 14 बैठकें हुई। पूरे बजट सत्र, 2020 के दौरान लोक सभा और राज्य सभा की कुल 23 बैठकें हुई।

3. भारत सहित दुनिया भर में COVID-19 के प्रसार से उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए, दलों में सर्वसम्मति होने के बाद सत्र के दूसरे भाग को कम कर दिया गया है।

4. वर्ष का प्रथम सत्र होने के नाते, 31 जनवरी, 2020 को राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 87(1) की शर्तों के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। लोक सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा द्वारा प्रस्तावित और श्री राम कृपाल यादव द्वारा अनुमोदित किया गया। इस मद पर लोक सभा में आबंटित 12 घंटे के समय की बजाय 15 घंटे 21 मिनट का समय लगा। राज्य सभा में इसे श्री भूपेंद्र यादव द्वारा प्रस्तावित और डॉ. सुधांशु त्रिवेद्वी द्वारा अनुमोदित किया गया। इस मद पर राज्य सभा में आबंटित 12 घंटे के समय की बजाय 14 घंटे 33 मिनट का समय लगा। सत्र के पहले भाग के दौरान, दोनों सदनों द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की गई और उसे स्वीकृत किया गया।

5. वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय बजट शनिवार, 1 फरवरी, 2020 को प्रस्तुत किया गया। इस सत्र के पहले भाग में दोनों सदनों में केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा की गई। इस मद पर लोक सभा में आबंटित 12 घंटे के समय की बजाय 11 घंटे 51 मिनट का समय और राज्य सभा में आबंटित 12 घंटे के समय की बजाय 11 घंटे 36 मिनट का समय लगा।

6. लोक सभा में, रेल, सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा की गई और अंगीकृत किया गया। तत्पश्चात शेष मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों को **सोमवार, 16 मार्च, 2020** को सदन के मत के लिए प्रस्तुत किया गया। 16.03.2020 को संबंधित विनियोग विधेयक को भी पुरस्थापित, विचार और पारित किया गया। इसी दिन वर्ष 2019-20 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक, वर्ष 2019-20 के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अनुपूरक अनुदान मांगों, वर्ष 2020-21 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुदान मांगों और वर्ष 2019-20 के लिए लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुदान मांगों को भी इसके अंगीकृत करने के बाद पुरस्थापित, विचार और पारित किया गया। वित्त विधेयक, 2020 को लोक सभा द्वारा दिनांक 23.03.2020 को पारित किया गया। राज्य सभा ने भी सभी विनियोग विधेयकों, और वित्त विधेयक, 2020 को 23.03.2020 को लौटा दिया। इस प्रकार समस्त वित्तीय कार्य को 31 मार्च, 2020 से पहले पूरा कर लिया गया।

7. इस सत्र के दौरान कुल 19 विधेयक (18 लोक सभा में और 01 राज्य सभा में) पुर:स्थापित किए गए। लोक सभा द्वारा 15 विधेयक पारित किए गए और राज्य सभा द्वारा 13 विधेयक पारित किए गए। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए गए विधेयकों की संख्या 12 है। राज्य सभा में 2 विधेयक वापिस लिए गए। लोक सभा/राज्य सभा में पुरस्थापित विधेयकों, लोक सभा द्वारा पारित विधेयकों, राज्य सभा द्वारा पारित विधेयकों, दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए और राज्य सभा द्वारा वापिस लिए गए विधेयकों की सूची **अनुबंध** के रूप में संलग्न है।

8. संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक इस प्रकार हैं:-

- सामाजिक न्याय और शैक्षिक सुधार – भारत में सामाजिक न्याय और शैक्षिक सुधारों को और मजबूत करने के लिए कुछ विधेयकों को इस सत्र के दौरान पारित किया गया। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2020 आदेश के भाग VI में संशोधन करता है जो कर्नाटक में अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट करता है। **केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2020** का उद्देश्य संस्कृत में मानद होने वाले तीन विश्वविद्यालयों अर्थात् राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में अपग्रेड करना है ताकि विश्वविद्यालयों में संस्कृत और शास्त्रीय शिक्षा के क्षेत्र में स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरल शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके। यह बेहतर संकाय प्राप्त करने, विदेशी छात्रों को आकर्षित करने, संस्कृत विद्वानों, अंतरराष्ट्रीय ख्याति के विदेशी संकाय और दुनिया भर में वैश्विक विश्वविद्यालयों के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग बनाने में मदद करेगा।

- आर्थिक क्षेत्र/व्यवसाय करने में आसानी – देश में आर्थिक भावना की ओर ध्यान दिलाने के लिए महत्वपूर्ण विधान संसद के वर्तमान सत्र के दौरान पारित किए गए। **खनिज विधि (संशोधन) विधेयक, 2020** का उद्देश्य कोयला, लिग्नाइट और परमाणु खनिजों के अतिरिक्त खनिजों के मामले में सभी वैध अधिकारों, अनुमोदन, अनापत्ति, लाइसेंस और दो साल की अवधि के लिए एक नए पट्टेदार को निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा देना है। यदि कंपनी निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया या समापन में चली जाती है तो दिवाला को रोकने के लिए निगमित ऋणियों के लिए, वित्तीय लेनदारों के कतिपय वर्गों द्वारा संहिता के संभाव्य दुरूपयोग को रोकने के लिए, निगमित ऋणी के अभियोजन और निगमित ऋणी की संपत्ति के विरूद्ध कार्रवाई के विरूद्ध उन्मुक्ति प्रदान करने और कतिपय शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन रहते हुए सफल समाधान आवेदक के लिए अंतिम चरणबद्ध वित्तपोषण के प्रतिदाय में उच्चतम पूर्विक्ता प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की गई थी और निगमित दिवाला कार्यढांचे में महत्वपूर्ण अंतरों को पूरा करेगी। **प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020** में न केवल सरकार के लिए समय पर राजस्व उत्पन्न करके लंबित कर विवादों के समाधान का प्रस्ताव है, बल्कि इसमें उन करदाताओं को भी शामिल किया जाएगा जो अपने व्यवसाय के लिए इस तरह के विवाद समाधान का विकल्प चुनकर समय, ऊर्जा और संसाधनों की बचत कर सकेंगे।

9. 'दिल्ली के कुछ हिस्सों में हाल ही में कानून और व्यवस्था' पर लोक सभा में नियम 193 के अंतर्गत और राज्य सभा में नियम 176 के अधीन अल्पावधि चर्चा की गई।

10. सत्र के पहले भाग के दौरान, लोक सभा की उत्पादिता **94**% और राज्य सभा की **96**% थी। बजट सत्र, 2020 के दूसरे भाग के दौरान, लोक सभा की उत्पादिता **88**% और राज्य सभा की **62**% रही। पूरे बजट सत्र, 2020 के दौरान लोक सभा की उत्पादिता **90**% और राज्य सभा की उत्पादिता **74**% रही।

*****

17वीं लोक सभा के तीसरे सत्र और राज्य सभा के 251वें सत्र (बजट सत्र, 2020) के दौरान निष्पादित विधायी कार्य

I. लोक सभा में पुर:स्थापित किए गए विधेयक

1. वित्त विधेयक, 2020
2. वायुयान (संशोधन) विधेयक, 2020
3. प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020
4. आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक, 2020
5. गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2020
6. खनिज विधि (संशोधन) विधेयक, 2020
7. बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020
8. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020
9. महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2020
10. विनियोग विधेयक, 2020
11. कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2020
12. विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2020
13. जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2020
14. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2020
15. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2020
16. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2020
17. राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2020
18. राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2020

II. राज्य सभा में पुर:स्थापित किए गए विधेयक

1. नाशक जीव मार प्रबंधन विधेयक, 2020

III. लोक सभा द्वारा पारित विधेयक

1. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019
2. प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020
3. खनिज विधि (संशोधन) विधेयक, 2020
4. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020
5. विनियोग विधेयक, 2020
6. वायुयान (संशोधन) विधेयक, 2020
7. गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2020
8. विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2020
9. जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2020
10. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2020
11. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2020
12. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2020
13. आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक, 2020
14. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020
15. वित्त विधेयक, 2020

IV. राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक

1. खनिज विधि (संशोधन) विधेयक, 2020
2. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020
3. प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020
4. केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2019
5. राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक, 2019
6. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2019
7. विनियोग विधेयक, 2020
8. विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2020
9. जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2020
10. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2020
11. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2020
12. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2020
13. वित्त विधेयक, 2020

v. संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए/पारित माने गए विधेयक

1. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2019
2. खनिज विधि (संशोधन) विधेयक, 2020
3. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020
4. प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020
5. केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2019
6. विनियोग विधेयक, 2020
7. विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2020
8. जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2020
9. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2020
10. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2020
11. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2020
12. वित्त विधेयक, 2020

VI वापिस लिए गए विधेयक

1. निजी जासूसी एजेंसियां (विनियमन) विधेयक, 2007
2. नाशक जीव मार प्रबंधन विधेयक, 2020

***